न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 79/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 20.7.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. राजेन्द्र उर्फ राधा बल्लभ जाति धाकड निवासी कडैयाबन तहसील छबडा जिला बांरा।

....अपीलाट्स

बनाम

1. पूजा पुत्री हरिबल्लभ
2. दुर्गेश पुत्र हरिबल्लभ
   नाबालिगान जरिये वली व सरपरस्त माता रामावतार बाई बेवा हरिबल्लभ जाति धाकड निवासी कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां।
3. रामावतार बाई बेवा हरिबल्लभ जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बारां।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पो0 कम–1लागायत 3

:::निर्णय:::

दिनांक 8.11.2017

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 7/2017 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान पूजा बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 27.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि पूजा वगेरा द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता पिता/पति (मृतक) का नाम राजस्व रेकार्ड मे सहवन से हरिबिल्लभ के स्थान पर बोलता नाम राधाबल्लभ दर्ज हो गया जो लिपिकीय त्रुटि होने से दुरूस्त की जाकर खाता सं0 171 की ख0 नं0 94 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 95 रकबा 01 बीधा 19 बिस्वा वाकै माल आंचोली तहसील छबडा के रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के मृतक पिता/पति हरिबल्लभ का नाम राधाबल्लभ के स्थान पर हरिबल्लभ राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का तहसीलदार छबडा को आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट राजेन्द्र उर्फ राधाबल्लभ ने प्रकरण मे व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे इस आशय की पेश कि गई कि राजस्व रिकार्ड मे प्रारम्भ से खातेदार के कालम मे राधाबल्लभ पुत्र देवलाल का नाम दर्ज चला आ रहा है अतः फौती इंतकाल मे गलती बताकर राजस्व राधाबल्लभ के स्थान पर हरिबल्लभ करने का रेस्पो0 द्वारा चाहा गया अनुतोष सर्वथा अवैधानिक है हरिबल्लभ के पिता राधाबल्लभ की मृत्यु नहीं हुई है। इस संबध मे सरपंच ग्राम पंचायत कडैयाबन का प्रमाण पत्र दिनांक 15.7.17 प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज नही थे जिससे प्रार्थना पत्र धारा 136 मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि हो तथा ना ही तथ्यो के संबध मे तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त की ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। रेस्पो0 के पति/पिता ने अपने जीवनकाल मे नाम उक्त वर्णित त्रुटि को दुरूस्त करवाने बावत कोई कार्यवाही नहीं की। कक्षा 9 की मार्कशीट मे भी हरिबल्लभ पुत्र देवलाल दर्ज है राशन कार्ड मे भी हरिबल्लभ पुत्र देवलाल दर्ज है ऐसी स्थित मे हरिबल्लभ को राधाबल्लभ नही माना जा सकता। धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानो के तहत लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त की जा सकती है राजस्व रिकार्ड मे वर्णित किसी खातेदार का नाम परिवर्तन करने का उक्त धारा मे कोई प्रावधान नही है। अपीलांट के पिता देवलाल पुत्र धूलीलाल ने अपीलांट की नाबालिग अवस्था मे अपीलांट के बोलते नाम राधाबल्लभ के नाम से विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी परन्तु स्कूल मे प्रवेश के समय अपीलांट का नाम राधाबल्लभ की जगह राजेन्द्र लिखवा दिया । रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 3 के मन मे बदनियती आ जाने से उन्होने धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा अपीलांट का होने से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रभावित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 1.5.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 5.5.07 को 26.5.2017 की तारीख दी गई। बिना तलबी की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत पत्रावली मे दिनांक 3.5.07 पेशी अंकित कर दिनांक 27.6.17 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो अवैधानिक है। यह कि अपीलांट एवं रेस्पो0 का पिता/पति हरिबल्लभ दोनो सगे भाई है हरिबल्लभ की मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.6.2017 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि दिनांक 5.5.2007 को रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 5.5.2017 को तलबी अप्रार्थी मे 26.5.2017 की तारीख दी गई किन्तु 3.5.2017 केम्प कोर्ट गूगोर की 27.6.2017 नियत कर प्रकरण का बिना तलबी रेस्पो0 के लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो अवैधानिक है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत होने से जेरअपील आदेश/निर्णय निरस्तनीय है। बहस आगे बताया कि रेस्पो0 ने गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। देवलाल का इंतकाल प्रस्तुत नहीं किया। हरिबल्लभ की मार्कशीट मे हरिबल्लभ पुत्र देवलाल दर्ज है। बहस मे आगे बताया कि धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानो के तहत लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकार की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड मे वर्णित किसी खातेदार का नाम परिवर्तन करने का धारा 136 मे कोई प्रावधान नही है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2015 (1) पेज 10 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये जेरअपील निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे बताया कि विवादित आराजी राधाबल्लभ बोलता नाम से खरीदी। जबकि वास्तविक नाम राधाबल्लभ का वास्तविक नाम हरिबल्लभ है (बोलता नाम राधाबल्लभ) जो रेस्पो0 के पति/पिता है जिनकी मृत्यु दिनांक 31.10.2016 को हो चुकी है। मेने अधीनस्थ न्यायालय मे राशनकार्ड की प्रति पेश की जिसमे हरिबल्लभ उर्फ राधाबल्लभ दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात का अवलोकन कर राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मे जेरअपील आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। राजेन्द्र कुमार गलत कहानी गढ रहे है यह हरिबल्लभ के भाई है ऐसी स्थिति मे कैसे प्रभावित पक्षकार हो सकते है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नही है लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज कर तदानुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। बहस मे आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मजमे आम मे जांच के बाद निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी के संबध मे वाद जेरकार है जिसमे निष्कर्ष आ जायेगा। नामा0 सही है। रेस्पो0/विधवा को भूमि से बेदखल करने का षडयंत्र है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा नहीं है बल्कि रेस्पो0 का कब्जा काश्त है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा

प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 27.6.2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे पेश की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित किया है कि विवादित आराजी अपीलांट के पिता देवलाल ने अपीलांट की नाबालिग अवस्था मे अपीलांट के बोलते नाम राधाबल्लभ के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी परन्तु स्कूल मे प्रवेश के समय अपीलांट का नाम राधाबल्लभ की जगह राजेन्द्र लिखवा दिया तथा यही नाम चलता रहा रेस्पो0 ने बदनियति से धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र पेश किया जो अवैधानिक है। अतः प्रकरण मे अपीलांट प्रभावित एंव हितबद्ध पक्षकार है। इसके विपरीत प्रकरण मे रेस्पो0 अभिभाषक का बहस तर्क रहा है कि राजेन्द्र कुमार गलत कहानी गढ रहे है यह हरिबल्लभ के भाई है ऐसी स्थिति मे प्रभावित पक्षकार नहीं हो सकते। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे अपीलांट पक्षकार नहीं रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे राधाबल्लभ के स्थान पर शुद्ध कर हरिबल्लभ दर्ज करने का दिनांक 27.6.2017 को आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। लिहाजा उक्त तथ्यो के आलोक मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर विचार कर निम्नानुसार निर्णित किया जाता है।

6 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि रेस्पो0 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट का प्रा0 पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक दिनांक 1.5.2017 को पेश किया गया आदेशिका दि0 5.5.2017 के अनुसार प्रकरण दर्ज कर तलबी अप्रार्थी मे 26.5.2017 की तारीख दी गई किन्तु 3.5.2017 केम्प कोर्ट गूगोर की 27.6.2017 नियत कर प्रकरण का बिना तलबी रेस्पो0 के लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 मे प्रकरण का निस्तारण किये जाने की पुष्टि होती है जो सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियॉ धारा 136 के अन्तर्गत परिशोधित की जा सकती है। प्रश्नगत प्रकरण मे मुख्य विवाद राधाबल्लभ के वास्तविक नाम को लेकर है जिसके लिये दोनो ही पक्षकार अपना अपना दावा जता रहे है ऐसी स्थिति मे सहज न्याय की दृष्ट्रिगत हमारे मतानुसार उक्त तथ्य का समुचित परीक्षण कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश दिनांक 27.6.2017 मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश को न्यायोचित नहीं पाते है। लिहाजा उक्त उक्त विवेचन अनुसार जेरअपील आदेश दिनांक 26.7.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर उप जिला कलक्टर छबडा छबडा द्वारा प्रा0 पत्र 7/17 पूजा बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 27.6.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय के बिन्दू सं0 6 मे उल्लेखित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत आदेश/निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 8.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा